क्रम-संख्या—1104

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1987

श्रावण 7, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या-1128/सत्रह-वि-1-1 (क) 35-1986

लखनऊ, 29 जुलाई, 1987

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 29 जुलाई, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1987]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 26 नवम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (2) में,—

(एक) शब्द "पैंतीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पचास प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

(दो) शब्द "आठ पैसे" के स्थान पर शब्द "नौ पैसे" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1987

3—(1) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,

सचिव।

No. 1128(2)/XVII-V-1—1(KA)-35-1986

Dated Lucknow, July 29, 1987

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1987.

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1987

[U. P. ACT NO. 13 OF 1987]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 26, 1986.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. XXXIII of 1952

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2),—

(i) *for* the words "thirty-five per cent" the words "fifty per cent" shall be *substituted* ;

(ii) *for* the words "eight paise" the words "nine paise" shall be *substituted.*

Repeal and saving

U. P. Ordinance no. 5 of 1987

3. The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

S. N. SAHAY,

Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 96 सा0 (विधा)–(1775)–1987–850 (मैक0)।